



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 04]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 2, 2018/पौष 12, 1939

No. 04]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 2, 2018/PAUSHA 12, 1939

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 2017

स. सीपीबी/03/स्टैंडर्ड्स/एफएसएसआई/2016.—प्रारूप खाद्य सुरक्षा और मानक (जैव खाद्य) विनियम, 2017 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की अधिसूचना सं. सीपीबी/03/स्टैंडर्ड्स/एफएसएसआई/2016, दिनांक 19 जून, 2017 द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 92 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार प्रकाशित किये गए थे जिनमें ऐसे व्यक्तियों से जिनकी उनसे प्रभावित होने की संभावना है, उस तारीख से जिसको उक्त प्रारूप विनियमों को अन्तर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध कराई गई थीं, तीस दिन की अवधि कि समाप्ति के पहले आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किये गए थे;

और उक्त राजपत्र की प्रतियाँ जनता को 22 जून, 2017 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और उक्त प्रारूप विनियम के सम्बन्ध में प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा विचार कर लिया गया है;

अतः, अब, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, केंद्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से उक्त अधिनियम की धारा 92 की उपधारा (2) के खंड (ड) के साथ पठित धारा 16 की उपधारा (2) और धारा 22 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:—

विनियम**अध्याय 1****साधारण**

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**— (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य सुरक्षा और मानक (जैव खाद्य) विनियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे तथा खाद्य कारोबार प्रचालकों को 1 जुलाई, 2018 से इन विनियमों के सभी प्रावधानों का अनुपालन करना होगा।

2. **परिभाषाएँ.**— (1) इन विनियमों में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

- (क) “अधिनियम” से खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) अभिप्रेत है ;
- (ख) “प्रत्यायन निकाय” से खाद्य प्राधिकरण द्वारा इस रूप में मान्यता-प्राप्त या प्रमाणन संस्थाओं के प्रत्यायन के लिए राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के अधीन मान्यता-प्राप्त कोई अभिकरण अभिप्रेत है;
- (ग) “प्रत्यायित प्रमाणन निकाय” से किसी प्रत्यायन संस्था द्वारा जैविक उत्पादों के प्रमाणन और उसकी ओर से खाद्य कारोबारकर्ता को प्रमाणन मुहर के उपयोग का अधिकार देने वाला सम्यक रूप से प्रत्यायित कोई निकाय अभिप्रेत है ;
- (घ) “दावे” से ऐसा कोई अभ्यावेदन अभिप्रेत है, जिसमें यह कथन, सुझाव या विवक्षा की जाती है कि किसी खाद्य में उसके उद्भव उसकी उत्पत्ति, पौषक तत्व, प्रकृति, प्रसंस्करण और सम्मिश्रण से सम्बंधित विशिष्ट गुण है;
- (ङ) “खाद्य प्राधिकरण” से खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 4 के अधीन स्थापित भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण अभिप्रेत है;
- (च) “राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम” से भारत सरकार का ऐसा कार्यक्रम अभिप्रेत है ,जो विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 के अधीन राष्ट्रीय जैविक उत्पादन मानकों के कार्यान्वयन के लिए महानिदेशक, विदेश व्यापार द्वारा यथा अधिसूचित तृतीय पक्ष प्रमाणन नियंत्रण प्रणाली वाली संस्थागत प्रणाली का उपबंध करता है;
- (छ) “जैव खाद्य” से जैव उत्पादन के लिए विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार उत्पादित खाद्य उत्पाद अभिप्रेत है;
- (ज) “भारतीय सहभागिता प्रत्याभूति प्रणाली” से भारत सरकार के कृषि और कृषक कल्याण मंत्रालय, कृषि सहकारिता और कृषक कल्याण विभाग द्वारा जैविक उत्पादन के लिए ऐसी गुणवत्ता आश्वासन पहल अभिप्रेत है जो उत्पादकों, उपभोक्ताओं और अन्य पणधारियों की भागीदारी पर बल देती है और तृतीय पक्ष प्रमाणन के कार्य ढांचे से बाहर कार्य कारती है;
- (2) उन सभी अन्य शब्दों और पदों के , जो इसमें प्रयुक्त है और परिभाषित नहीं है, किन्तु अधिनियम या उसके अधीन बने नियमों या विनियमों में परिभाषित है, वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम, नियमों या विनियमों, क्रमशः, में हैं।

अध्याय 2

जैव खाद्य लेबलिंग और प्रमाणन

3. **जैव खाद्य का विनिर्माण, पैकिंग, विक्रय आदि.**— कोई व्यक्ति तब तक किसी ऐसे जैव खाद्य का निर्माण, पैकिंग, विक्रय, विक्रय के लिए प्रस्ताव, विपणन या अन्यथा वितरण या आयात नहीं करेगा, जब तक इन विनियमों में अधिककृत अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं करता।

4. **प्रणालियों का लागू होना.**— (1) विक्रय के लिए प्रस्थापित या संबन्धित जैव खाद्य निम्नलिखित में से किसी एक प्रणाली के सभी लागू उपबंधों का भी अनुपालन करेगा, अर्थात्:—

- (i) राष्ट्रीय जैव उत्पादन कार्यक्रम (एन.पी.ओ.पी);
- (ii) भारतीय सहभागिता प्रत्याभूति प्रणाली (पी.जी.एस-इंडिया);
- (iii) खाद्य प्राधिकरण द्वारा, समय-समय पर यथा अधिसूचित कोई अन्य प्रणाली या मानक।

(2) ऐसा जैव खाद्य जो लघु मूल उत्पादक या उत्पादक संगठन खाद्य प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर यथा अवधारित, द्वारा अंतिम उपभोक्ता को सीधे विक्रय के माध्यम से विपणन किया जाता है, को उप-विनियम 1 में विनिर्दिष्ट प्रणालियों के उपबंधों से छूट होगी।

5. **लेबलिंग.**— (1) जैव खाद्य के पैकज की लेबलिंग उत्पाद की जैवीय प्रास्थिति की पूरी और सही-सही जानकारी होगी। ऐसे उत्पाद में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के जैविक 'प्रतीक चिन्ह' के साथ-साथ विनियम 4 में उल्लिखित प्रणालियों में से किसी एक प्रणाली का प्रमाणन या गुणवत्ता आश्वासन चिन्ह हो सकेगा।

(2) सभी जैव खाद्य विनियम 4 में उल्लिखित प्रणालियों में से लागू किसी एक प्रणाली की लेबलिंग अपेक्षाओं के साथ-साथ खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) विनियम, 2011 में विनिर्दिष्ट पैकेजिंग और लेबलिंग अपेक्षाओं का अनुपालन करेंगे।

6. **अनुमार्गीयता.**— अनुमार्गीयता, विनियम 4 में उल्लिखित प्रणालियों के अधीन लागू उत्पादक स्तर तक होगी और जिसके अंतर्गत खाद्य उत्पाद की जैविक पूर्णता को बनाए रखने के लिए उत्पाद में खाद्य प्राधिकरण द्वारा विहित कोई अन्य अपेक्षा भी है।

7. **अधिनियम के अधीन अन्य विनियमों के उपबंधों का पालन करने की अपेक्षाएँ.**— इन विनियमों के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, सभी जैव खाद्य खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 के अधीन यथा लागू सुसंगत उपबंधों का अनुपालन करेंगे। जैव खाद्य कीटनाशकों के अवशेषों को छोड़कर, जिसके लिए अधिकतम सीमा, विहित सीमा की 5 प्रतिशत या परिमाणन की सीमा (एलओक्यू) जो भी अधिक हो होगी, खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषक, अविष तथा अवशिष्ट) विनियम, 2011, के सुसंगत लागू उपबंधों का अनुपालन भी करेंगे।

8. **प्रदर्शन.**— जैव खाद्य के सभी विक्रेता या तो अकेले, या अपने खुदरा कारोबार के अंग रूप में, ऐसे खाद्य को गैर जैव खाद्य के प्रदर्शन से स्पष्टतः अलग रीति से प्रदर्शित करेंगे।

अध्याय 3

आयात और विनियम

9. **जैव खाद्य का आयात.**—(1) जैव खाद्यों के राष्ट्रीय जैव उत्पादन कार्यक्रम और संबंधित निर्यातक देशों के जैव मानकों की समतुल्यता के आधार पर हुए द्विपक्षीय या बहुपक्षीय करारों के अधीन भारत में आयात के लिए पुनः प्रमाणन अधिनियम तथा उसके अधीन बने नियमों और विनियमों के उपबंधों का अनुपालन के अध्यधीन अपेक्षित नहीं होगा।

(2) उप-विनियम (1) में विनिर्दिष्ट जैविक खाद्य परेषण के साथ समतुल्यता करार के निबंधनों के अधीन आने वाले किसी प्रत्यायित प्रमाणन निकाय द्वारा जारी संब्यवहार प्रमाणपत्र संलग्न होगा।

पवन अग्रवाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन-III /4/असा. /372/17]

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE
(FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th December, 2017

No. CPB/03/Standards/FSSAI/2016.— Whereas the draft Food Safety and Standards (Organic Foods) Regulations, 2017, were published as required under sub-section (1) of section 92 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), vide notification of the Food Safety and Standards Authority of India number CPB/03/Standards/FSSAI/ 2016, dated the 19th June, 2017, in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, inviting objections and suggestions from persons likely to be affected thereby before the expiry of period of thirty days from the date on which the copies of the Official Gazette containing the said draft regulations were made available to the public;

And whereas copies of the said Gazette were made available to the public on the 22nd June, 2017;

And whereas objections and suggestions received from the public in respect of the said draft regulations have been considered by the Food Safety and Standards Authority of India;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (e) of sub-section (2) of section 92 read with sub-section (2) of section 16 and section 22 of the said Act, the Food Safety and Standards Authority of India, with previous approval of Central Government, hereby makes the following regulations, namely:—

REGULATIONS

CHAPTER I

General

1. **Short title and commencement.**— (1) These regulations may be called the Food Safety and Standards (Organic Foods) Regulations, 2017.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette and Food Business Operator shall comply with all the provisions of these regulations by 1st July, 2018.
2. **Definitions.**— (1) In these regulations, unless the context otherwise requires,—
 - (a) “Act” means the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006);
 - (b) “Accreditation body” means any agency recognised as such by the Food Safety and Standards Authority of India or recognised under the National Programme for Organic Production for accreditation of certification bodies;
 - (c) “Accredited Certification Body” means organisation duly accredited by an Accreditation body for certification of organic products and for granting the right to use the certification mark to the food business operators on behalf of the Accreditation body;
 - (d) “Claim” means any representation which states, suggests or implies that a food has particular qualities relating to its origin, nutritional properties, nature, processing and composition;
 - (e) “Food Authority” means the Food Safety and Standards Authority of India established under section 4 of the Food Safety and Standards Act, 2006;
 - (f) “National Programme for Organic Production” means a programme of the Government of India which provides an institutional mechanism for implementation of the National Standards for Organic Production with a third-party certification control system as notified by the Director General of Foreign Trade under the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992(22 of 1992);
 - (g) “Organic food” means food products that have been produced in accordance with specified standards for organic food production;
 - (h) “Participatory Guarantee System for India” means a quality assurance initiative by the Department of Agriculture Co-operation and Farmer’s Welfare, Ministry of Agriculture and Farmer’s Welfare, Government of India for organic production which emphasizes the participation of producers, consumers and other stakeholders and operate outside the framework of third party certification.

(2) All other words and expressions used herein and not defined but defined in the Act or rules or regulations made there under shall have the meanings assigned to the same in the Act or rules or regulations respectively.

CHAPTER II

Organic Food Labelling and Certification

3. Manufacture, pack, sell etc., of organic food.— No person shall manufacture, pack, sell, offer for sale, market or otherwise distribute or import any organic food unless they comply with the requirements laid down under these regulations.

4. Applicability of the systems.— (1) The organic food offered or promoted for sale shall also comply with all the applicable provisions of one of the following systems, namely:—

- (i) National Programme for Organic Production (NPOP);
- (ii) Participatory Guarantee System for India (PGS-India).
- (iii) Any other system or standards as may be notified by the Food Authority from time to time.

(2) The Organic food which is marketed through direct sales by the small original producer or producer organisation, as determined by the Food Authority from time to time, to the end consumer shall be exempted from the provisions of the systems referred in sub-regulation (1).

5. Labelling.— (1) Labelling on the package of organic food shall convey full and accurate information on the organic status of the product. Such product may carry a certification or quality assurance mark of one of the systems mentioned in regulation 4 in addition to the Food Safety and Standard Authority of India's organic logo.

(2) All organic foods shall comply with the packaging and labelling requirements specified under the Food Safety and Standards (Packaging and Labelling) Regulations, 2011 in addition to the labelling requirements under one of the applicable systems mentioned in regulation 4.

6. Traceability.— shall be established upto the producer level as applicable under the systems mentioned in regulation 4 and it shall include any other requirements prescribed by the Food Authority to maintain the organic integrity of the food product.

7. Requirement to comply with the provision of the other regulations made under the Act.— Without prejudice to the provisions of these regulations, all organic food shall comply with the relevant provisions, as applicable, under the Food Safety and Standards (Food Product Standards and Food Additives) Regulations, 2011. The organic food shall also comply with relevant provisions, as applicable under the Food Safety and Standards (Contaminants, Toxins and Residues) Regulations, 2011 except for residues of insecticides for which the maximum limits shall be 5% of the maximum limits prescribed or Level of Quantification (LoQ) whichever is higher.

8. Display.— The seller of organic food either exclusively or as part of his retail merchandise shall display such food in a manner distinguishable from the display of non-organic food.

CHAPTER III

Imports and Reciprocity

9. Import of organic food.— (1) Organic food imports under bilateral or multilateral agreements on the basis of equivalence of standards between National Programme for Organic Production and the organic standards of the respective exporting countries shall not be required to be re-certified on import to India subject to their compliance with the provisions of the Act, the rules and regulation made there under.

(2) The organic food consignments referred to in sub-regulation.—(1) shall be accompanied by a transaction certificate issued by an Accredited Certification Body covered under the terms of the equivalence agreement.

PAWAN AGARWAL, Chief Executive Officer

[Advt.-III/4/Exty./372/17]